

मुकदमों का विवरण

भीष्म लाल वर्मा बनाम.

उत्तर प्रदेश और एक और राज्य (विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) 2023 का सं. 7976) अक्टूबर 30, 2023

[सी. टी. रविकुमार और संजय कुमार, जे. हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: एक दूसरी याचिका है जो यू/एस द्वारा बनाए रखी जा सकती है। 482 <आई. डी. 1. उन आधारों पर जो पहली याचिका दंड प्रक्रिया संहिता आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता समय भी चुनौती दंड प्रक्रिया संहिता लिए उपलब्ध थे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 482-यू/एस. एस. के तहत एक शिकायत का मामला दर्ज किया गया था। 409, 420, 467, 468, 471 और भारतीय दंड संहिता सी. का 120 बी आर/डब्ल्यू। धारा 7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का 13-याचिकाकर्ता उसमें नामित अभियुक्तों में से एक था-राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी-जांच पूरी होने पर, आरोप पत्र तैयार किया गया और संज्ञान लिया गया-2018 में, याचिकाकर्ता ने यू/एस के नेतृत्व में याचिका दायर की। 482 दंड प्रक्रिया संहिता और केवल सरकार की मंजूरी को चुनौती दी और इसका निपटारा विचारण न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया गया-2022 में, याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका दायर की। 482 दंड प्रक्रिया संहिता आरोप पत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: हालांकि यह स्पष्ट है कि कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता है कि एक दूसरी याचिका यू/एस। 482 दंड प्रक्रिया संहिता किसी भी स्थिति में नहीं होगा और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, किसी व्यथित व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय के यू/एस के अधिकार क्षेत्र को लागू करके एक के बाद एक याचिका दायर करने के लिए खुला नहीं है। 482 Cr.P.C., हालांकि इस तरह की सभी याचिकाएं पहली बार में भी उपलब्ध थीं-यू/एस के तहत लगातार याचिकाओं की भाषा को अनुमति देना। 482 दंड प्रक्रिया संहिता इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक कुशल अभियुक्त एक के बाद एक याचिका दायर करके अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होगा। 482 56

/

न्यायालय 1.....।482 Cr.P.C., जिसमें केवल मंजूरी आदेश को चुनौती दी गई थी-कि ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र और बाद में संज्ञान आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को फिर से लागू करने की स्वतंत्रता नहीं थी।[पैरा 11 और 12]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अधीक्षक और कानूनी मामलों के अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल बनाम मोहन सिंह और अन्य (1975) 3 एस. सी. सी. 706; अनिल खड़कीवाला बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) (2019) 17 एस. सी. सी. 295; एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भाल (2007) 4 एस. सी. सी. 70; विनोद कुमार, आईएएस. बनाम भारत संघ और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 559; सिमरीखिया बनाम डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी और एक अन्य (1990) 2 एस. सी. सी. 437:[1990] 1 एस. सी. आर. 788; सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और दूसरा (1981) 1 एस. सी. सी. 500:[1981] 2 एससीआर 48; आर. अन्नपूर्णा बनाम रामडुगु अनंत कृष्ण शास्त्री और अन्य (2002)

10 एस. सी. सी. 40-संदर्भित।

एस. मदन कुमार बनाम के. अर्जुनन 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 94-अनुमोदित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2023 का No.7976।

2022 के ए 482 No.2014 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.02.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

प्रदीप कुमार सिंह बघेल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक कुमार सिंह, रमेश चंद्र तिवारी, अभिनव जगनाथन, सुश्री पल्लवी बघेल, सुश्री अनामिका यादव, सिद्धार्थ शुक्ला, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

एस. नागमुथु, सीनियर एड. (न्यायमित्र), एम. पी. पार्थिवन, आर. सुधाकरन, हरि हरा सुधा, श्रेयस कौशल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

57

भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 58

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

संजय कुमार, जे।

1. 'क्या दूसरी याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उन आधारों पर कायम रखी जा सकती है जो पहली याचिका के अंतिम चरण के समय भी चुनौती के लिए उपलब्ध थे?'

2. यह संक्षिप्त प्रश्न है जो विचार के लिए उत्पन्न होता है।

3. जैसे ही इस मुद्दे ने मामले की स्थिरता को बढ़ा दिया, श्री एस. नागमुथु, विद्वान वरिष्ठ वकील, से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया और अपनी सामान्य कृपा के साथ, वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गए।

4. हम सबसे पहले प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं: एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में अनियमितताओं और इसमें शामिल व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक धन के गबन का आरोप लगाते हुए संयुक्त निदेशक, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में स्टेशन हाउस कार्यालय, पुलिस स्टेशन कोटवाली, रामपुर के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता, प्रासंगिक समय में परियोजना निदेशक/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर होने के नाते, भी फंसाया गया था। इसके बाद, 2012 का सी. सी. सं. 1280 पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, रामपुर के आदेश पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (संक्षिप्तता के लिए, '1988 का अधिनियम') के अंतर्गत दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता उसमें नामित अभियुक्तों में से एक था।

5. धारा 197 Cr.P.C और 1988 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, दिनांकित 03.12.2013 आदेश द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता धारा 409, 420, 467 और 471 और 1988 के अधिनियम की धारा 7 और 13 और उससे संबंधित किसी भी अन्य अपराध के अंतर्गत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। जाँच पूरा होने पर, आई. डी. 1 दिनांकित आरोप पत्र रामपुर के विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। इसमें याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 1988 के अधिनियम की धारा 7 और 13 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। दिनांक 12.06.2015 के आदेश द्वारा, विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामपुर,

/

[2023] 14 एस सी आर।

संज्ञान लिया। इसके बाद बरेली की विशेष न्यायालय ने इस मामले को 2016 के विशेष मामले संख्या 19 के रूप में लिया।

6. इसके बहुत बाद, याचिकाकर्ता ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत अपनी पहली याचिका का नेतृत्व किया।, आपराधिक विविध। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 का

आवेदन सं. 8465। इसमें, उन्होंने केवल सरकार के दिनांकित 03.12.2013 के मंजूरी आदेश को चुनौती देने का फैसला किया। राज्य ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मंजूरी को विचारण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने मंजूरी को चुनौती देने वाले एक उचित आवेदन के माध्यम से विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत से संपर्क करने और मंजूरी के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता देते हुए, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आवेदन का निपटारा कर दिया। विशेष रूप से, धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत इस पहली याचिका के अंतिम चरण के समय, आरोप पत्र बहुत अधिक रिकॉर्ड में था और विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामपुर ने पहले ही संज्ञान ले लिया था।

7. हालाँकि, यह केवल वर्ष 2022 में था जब याचिकाकर्ता ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत दूसरी याचिका दायर करने के लिए प्रेरित महसूस किया।, आपराधिक विविध। 2022 का आवेदन सं. 2014। उसमें उनकी प्रार्थनाएँ दिनांकित 30.04.2015 के आरोप पत्र; दिनांकित 12.06.2015 के संज्ञान आदेश; और विशेष मामला सं. 2016 का 19, जहाँ तक उनका संबंध था। इस आवेदन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20.02.2023 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। इसमें, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने पहले आपराधिक विविध का नेतृत्व किया था। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत 2018 का आवेदन संख्या 8465. एक सीमित प्रार्थना के साथ-दिनांकित 30.12.2013 के मंजूरी आदेश को रद्द करने के लिए। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के लिए एक-एक करके कार्यवाही को चुनौती देना खुला नहीं था और क्योंकि उसने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत पहली याचिका का नेतृत्व करते हुए आरोप पत्र या संज्ञान के आदेश से व्यथित महसूस नहीं किया था, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उसी को चुनौती देने वाली बाद की याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी और आवेदन को खारिज कर दिया। यह इस आदेश के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

8. याचिकाकर्ता की ओर से, श्री प्रदीप कुमार सिंह बघेल, विद्वान वरिष्ठ वकील, तर्क देंगे कि दूसरी याचिका धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत बनाए रखने योग्य है। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया

सुपरिटेण्डेंट एंड रिमेम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफ एयर, पश्चिम बंगाल बनाम.

भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.] 60

मोहन सिंह और अन्य 1. इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 561-ए के अंतर्गत एक बाद का आवेदन, जो वर्तमान में धारा 482 Cr.P.C है, बदली हुई परिस्थितियों में बनाए रखने योग्य होगा। यह कहा गया था कि एक बाद का आवेदन, जो समान तथ्यों और परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से दोहराया जाने वाला आवेदन

नहीं है, बनाए रखने योग्य होगा। अनिल खड़कीवाला मामले में इस न्यायालय का हालिया फैसला भी इसी तरह का था।

बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) और अन्य **2**, इससे पहले, एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य **3**, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

कि जब धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत पहली याचिका को विधि में उपलब्ध उपचार, यदि कोई हो, का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था, तो उच्च न्यायालय को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपनी अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जाएगा।

फिर से, विनोद कुमार में, आई. ए. एस. बनाम. भारत संघ और अन्य **4**, एक **3-** न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत पहले की याचिका को खारिज करने से तथ्यों के उचित होने की स्थिति में उसके अंतर्गत बाद की याचिका पर रोक नहीं लगेगी।

9. श्री एस. नागमुथु, विद्वान न्यायमित्र, हालांकि इंगित करेंगे कि मोहन सिंह (उपरोक्त) में दूसरी याचिका का मनोरंजन स्वीकार्य था क्योंकि बाद की याचिका के समय प्राप्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से पहले की याचिका के समय की तुलना में अलग थीं और यही वह विशिष्ट कारक था जिसने दूसरी याचिका को बचाया। वह आगे इंगित करेंगे कि सिमरीखिया बनाम डॉली मुखर्जी और छवि मुखर्जी और अन्य 5 मामलों में, इस न्यायालय ने आगाह किया कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत समीक्षा के प्रतिबंध को ओवरराइड करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और अन्य 6 का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वह करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध है। उन्होंने आर की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अन्नपूर्णा बनाम रामडुगु अनंत कृष्ण शास्त्री और अन्य **7**, जिसमें

1 (1975) 3 एस. सी. सी. 706

2 (2019) 17 एससीसी-294

3 (2007) 4 एससीसी 70

4 2021 की रिट याचिका संख्या 255, 29.06.2021 = 2021 SCC ऑनलाइन SC 559 5 (1990) 2 SCC 437 पर निर्णय लिया गया

6 (1981) 1 एससीसी 500

7 (2002) 10 एस. सी. सी. 401

[2023] 14 एस सी आर।

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक रद्द याचिका को 28.01.1995 पर खारिज कर दिया गया था और इसका उल्लेख किए बिना, एक अन्य याचिका को धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत इसी तरह के अनुरोध के साथ दायर किया गया था। यह देखते हुए कि दूसरी याचिका किसी भी ऐसी चीज के आधार पर नहीं की गई थी जो आई. डी. 1 के बाद विकसित हुई थी, बल्कि केवल उन तथ्यों के आधार पर की गई थी जो उस तारीख से पहले मौजूद थे, इस न्यायालय ने माना कि दूसरी याचिका विचारणीय नहीं थी, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास आई. डी. 1 के उस आदेश को रद्द करने की शक्ति नहीं थी जो वास्तविक हो गया था।

10. एस. मदन कुमार बनाम के. अर्जुनन 8, मद्रास उच्च न्यायालय

यह मत व्यक्त किया कि एक व्यक्ति जो धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता आह्वान करता है, उसे उस समय अपने लिए उपलब्ध सभी याचिकाओं को उठाते हुए न्यायालय के समक्ष ईमानदारी से आना चाहिए और उसे किशत याचिकाओं के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए। यह आगे देखा गया कि आपराधिक कार्यवाही के दौरान परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है जो व्यथित व्यक्ति को न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग करने की गुंजाइश देगा, लेकिन जब वह किसी मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ तैनात किया जाता है, तो वह उसी राहत की मांग करने वाली एक और याचिका के उद्देश्य से इसके कुछ हिस्से को रोक नहीं सकता है।¹¹ हम मद्रास उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि कोई व्यापक नियम नहीं हो सकता है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दूसरी याचिका किसी भी स्थिति में नहीं होगी और यह व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, लेकिन यह किसी व्यथित व्यक्ति के लिए खुला नहीं है कि वह धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करके एक के बाद एक याचिका दायर करे, हालांकि ऐसी सभी याचिकाएं पहली बार में भी बहुत अधिक उपलब्ध थीं। धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत लगातार याचिकाओं को अनुमति देना, इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक कुशल अभियुक्त धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक के बाद एक याचिका दायर करके अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने खिलाफ कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम हो जाएगा, भले ही इसका कारण कभी भी उत्पन्न हो। प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।¹² मामले में, आरोप पत्र की अंतिम भाषा और संबंधित न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत पहली याचिका की अंतिम भाषा से काफी पहले था, जिसमें केवल मंजूरी आदेश को चुनौती दी गई थी। ऐसा होने पर, याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को फिर से लागू करने की स्वतंत्रता नहीं थी और

भीष्म लाल वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.]

बाद में संज्ञान आदेश।इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को लागू करते हुए पारित आक्षेपित आदेश, इसलिए, सभी मामलों में निर्विवाद है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विशेष अनुमति याचिका योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

इस मामले से अलग होने से पहले, हम श्री एस. नागमुथु, विद्वान न्याय मित्र, के प्रति उनकी सक्षम और विद्वतापूर्ण सहायता के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

एसएलपी खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान